

20.04.2022

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलांट/प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा अपील को प्रस्तुत करने में देरी होना बताया गया है जो सद्भावनापूर्ण पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील को प्रस्तुत होने में हुई विलम्ब की अवधि को कण्डोन करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

Bellu
(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

